FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

रणधीर सिंह पुत्र शीशपाल जाति राजपूत निवासी कुतीना तह0 नीमराना

बनाम

पूजा देवी पत्नी बलकार जाति राजपूत निवासी बासहरिया तह0 गुरूग्राम हरि0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट मु0न0 98 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	04.04.2024 आज यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1687,1688,1766 वाके ग्राम कुतीना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थी रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थी यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दिनांक 29.05.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 25)

अदालत ....मुकाम ....

.... बनाम ....

न मुकदमा .... नं0 .... सन् ....

त्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	24-4-24 आज यह पत्रावली इस वाद के हेतु पेश हुई। पत्रा० में इस वाद नोट प्रेस के कारण है मुकदमें अधिवक्ता० ने प्रा० पत्र को नोट प्रेस किया गया है। अतः वादी का प्रा० पत्र नोट प्रेस में दाखिल किया जाता है फैसला मुताबिक [illegible] से [illegible] को बाद [illegible] [illegible] वाद [illegible]। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible] (कोटपूतली-[illegible])	Not Press N Kumar Adv. 24/4/24 (Nopender Kumar)